उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

संख्या-51/2015/1138/62-2-2015-2/4(74)/94टी0सी0-1

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली,1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलित नियमावली बनाते है:-

संक्षिप्त नाम और आरम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश् अभियंता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का प्रतिस्थापन 2 उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) नियमावली,1991, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, मे नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु-8 सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नही होनी चाहियें। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सकरार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कीय जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिदिष्ट की जायें।	आयु-8 सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जाये, 21 वर्ष की होनी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्च्तर अयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नये नियम का बढाया 3 उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-19 के पश्चात निम्नलिखित नया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाना नियम जोड दिया जायेगा, अर्थात:--

आमेलन द्वारा नियुक्ति 19- (क)(1) बन्द अथवा रूग्ण घोषित हो चुके निगम का कोई कर्मचारी, जो--

(एक) 29 मार्च,1996 को अथवा उससे पूर्व से लघु सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य किया हो और 07 जून,2013 तक निरन्तर उक्तवत कार्यरत रहा हो एवं नियम 9 में सहायक अभियन्ता पद हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं धारित करता हो ; और

(दो) स्वधारित पद पर आमेलित किए जाने को इच्छुक हो,

उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लघु सिंचाई विभाग) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2015 के प्रारम्भ होने से 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा कि वह इस प्रकार आमेलित किए जाने का इच्छुक है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन कोई भर्ती किए जाने से पूर्व केवल एक बार के लिए आमेलन का विकल्प देने वाले ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर चरित्र-पंजियों और उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों, जो उचित समझे जाय, के आधार पर विचार करेगा और लघु सिंचाई विभाग में् उनके कार्यभारग्रहण-तिथि के क्रम में कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा, जो उसकी राय में आमेलन किए जाने के लिए उपयुक्त हों।

(3) कोई कर्मचारी, जो उपनियम (2) के अधीन आमेलन हेतु उपयुक्त पाया जाता है, सीधी भर्ती के कोटे में उसके द्वारा सेवा में धारित पद पर आमेलित किया जायेगा और मूल विभाग में उसकी सेवाएं उसके आमेलन के दिनांक से समाप्त हो जायेंगीं परन्तु सेवानैवृत्तिक या पेंशन सम्बन्धी लाभ के लिए उसकी पूर्व की सेवाएं समवहत नहीं होगी और किसी नियमावली या विनियमावली के उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी शिथिल हो जायेगें।

नियम 20 का प्रतिस्थापन 4- उक्त नियमावली मे, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
20-परिवीक्षा-(1) निम्नलिखित पदों पर किसी व्यक्ति को स्थाई रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर- (एक) सहायक अभियन्ता को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा, और (दो) अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण	परिवीक्षा 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिदिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जायेगा:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राइज़ को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसकी किसी पद पर धरणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राइज़ संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम(2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च्तर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

5- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर रूतम्भ्-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

। नियम 4 (2) देखिये ।

पद का नाम	पदों की संख्या		योग
	स्थायी	अस्थायी	
समूह "ख" के पद			
(1) सहायक अभियंता	102	14	116
समूह "क" के पद			
(2) अधिशासी अभियंता	20	18	38
(3) अधीक्षण अभियंता/ स्टाफ आफिसर	04	07	11
(4) मुख्य अभियंता	01	--	01

आज्ञा से,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।